डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा

व इजलास ***श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.***

अनवान वादीगण – 1.भंवरलाल पुत्र कुम्भाराम
2.गणपत पुत्र कुम्भाराम
3.ठाकराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी ठाकों का तला तहसील धनाऊ

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. कुम्भाराम पुत्र उदाराम 2.लक्ष्मी सुपुत्री कुम्भाराम जाति निवासी ढाको का तला तहसील धनाऊ
3. पेम्पों पुत्री कुम्भाराम पत्नि देवीलाल जाति जाट निवासी सियोलो का डेर, पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री बाबुलाल जाणी**

वाद बाबत 88, RT Act.

मुकदमा नं. 111/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री बाबुलाल जाणी** एड. मिनजानिब मुदाई व एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनाम स्वीकार किया जाकर **तहसील धनाऊ के अतः मौजा ढाको का तला पटवार क्षेत्र नवातला राठौडान के खसरा संख्या 339/70 रकबा 21.4807 एवं खसरा संख्या 363/288 रकबा 7.5919 हेक्टेयर भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार धनाऊ को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क करने से पंजीयन नियमो के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्क की राशि राजकोष में नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में वादीगण प्रत्येक का 1/4– 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। तथा बैंक ऋण सहखातेदारो द्वारा उसी अनुपात में देय होगा।**लगातार शेष पृष्ट पर.......................... **बीज** .... **मबलिग** .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना [illegible] तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.09 [illegible] को जारी की गई।

मुहर ओहदा ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 13:39:36 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।